# महिला सशक्तिकरण

# महिला सशक्तिकरण

## 1) कोल इंडिया लिमिटेडः

### महिला सशक्तिकरणः

1.04.2024 की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानों के तहत सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में लगभग 19,421 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) 12 फरवरी, 1990 को सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के तत्वावधान में स्थापित किया गया था। कोल इंडिया में यह वर्ष 1990 में अस्तित्व में आया। यह मंच सार्वजनिक उपक्रमों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड में यौन उत्पीड़न शिकायत समिति है, जिसमें भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्य शामिल हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार मातृत्व अवकाश के अलावा; महिला कर्मचारियों को एक या अधिक अवधि में उनके अनुरोध पर 18 वर्ष की आयु तक के 2 जीवित बच्चों के लिए 730 दिनों तक की शिशु देखभाल अवकाश दी जाती है।

### 1.1 वित्त वर्ष 24–25 में सीएसआर के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

सीआईएल की सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य समाज के वंचित समूहों की सामाजिक–आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना है, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। सभी सीएसआर गतिविधियाँ सामान्य रूप से महिलाओं को लाभान्वित करती हैं, लेकिन कुछ सीएसआर गतिविधियाँ विशेष रूप से महिला लाभार्थियों पर लक्षित होती हैं। ऐसी प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैंः

i. **महिला कामगारों के लिए हरित आजीविकाः** – गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, सीआईएल सौर पार्कों की स्थापना में महिला सेवा ट्रस्ट की सहायता करता है, जिससे अनौपचारिक क्षेत्रों से गरीब महिला कामगारों के लिए हरित आजीविका के अवसर पैदा होते हैं। 155.58 लाख रुपये की बजट वाली यह परियोजना पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, जबकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, हरित ऊर्जा समाधानों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी के सम्मिश्रण के लिए एक मॉडल स्थापित करती है।

ii. **महिलाओं के लिए पुनर्वास और कौशल विकासः** –कोलकाता में, सीआईएल ने रेड–लाइट क्षेत्रों से लड़कियों और महिलाओं के पुनर्वास के लिए अपने आप महिला वर्ल्डवाइड (इंडिया) ट्रस्ट के साथ भागीदारी की, जिससे उनके जीवन के पुनर्निर्माण के लिए मार्ग प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इंदौर के महू में स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण शेड और छात्रावास सुविधाओं का निर्माण किया गया, जहां महिलाओं को आकर्षण बनाने, शिल्प और हथकरघा बुनाई जैसे परंपरागत कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है।

iii. **लड़कियों के छात्रावासों का निर्माणः** सीआईएल ने आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी राउरकेला में छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया, जिससे महिला इंजीनियरों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हुई।

iv. **इंजीनियरिंग कोचिंग सहायताः** "सीसीएल की लाडली" पहल ने छात्राओं को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में सहायता की।

v. **कौशल विकासः** ओडिशा और झारखंड में, कौशल विकास कार्यक्रमों में 540 लाभार्थियों में से कम से कम 30% महिलाएँ थीं, जो सीआईएल के लैंगिक समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती हैं।

vi. **शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के लिए कानूनी सशक्तिकरणः** विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के साथ साझेदारी में "न्याय नारी" पहल के माध्यम से, सीआईएल ने बिहार और कर्नाटक में 30,000 महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाया। यह परियोजना

कानूनी जागरूकता पर केंद्रित है, जो महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों को नेविगेट करने के उनके अधिकारों के ज्ञान से लैस करती है।

viii. **बीसीसीएल का हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण:** भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने मुकुंडा, अलकडीहा और गरेरिया गांवों में हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से धनबाद, झारखंड में महिलाओं को सशक्त बनाया है। झारक्राफ्ट के साथ कार्यान्वित, पहल महिलाओं को आत्मनिर्भरता और अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करती है।

ix. **एनसीएल की स्मॉल होल्डर पोल्ट्री प्रोजेक्ट:** नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) सिंगरौली में पोल्ट्री फार्मिंग की सहायता करके आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाता है। महिलाएं दो से तीन चक्रों में आत्मनिर्भर बनने के बाद प्रति माह रु. 3,500 तक कमाती हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और बच्चों की शिक्षा में सुधार होता है।

x. **प्रोजेक्ट पंख:** वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने नागपुर और चंद्रपुर जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में 50 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित कीं, जिससे 25,000 लड़कियां लाभान्वित हुईं और अनुपस्थिति कम हुई।

xi. **दृष्टिहीन छात्राओं के लिये सहायता:** वर्ष 2014 से, सीएमपीडीआईएल ने ब्रजकिशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, रांची में नेत्रहीन लड़कियों को शैक्षिक और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों के साथ समर्थन दिया है, जिसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और छात्रावास का निर्माण शामिल है।

xii. **कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिल्ली की छात्राओं को टैबलेट वितरण सीआईएल** ने छात्राओं के सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास सेटअप और टैबलेट वितरित किए।

जैसा कि भारत एक न्यायसंगत भविष्य की ओर अग्रसर है, महिला सशक्तिकरण के लिए सीआईएल की प्रतिबद्धता से मजबूत और अधिक समावेशी समुदायों का निर्माण जारी है। अपने प्रभावशाली कार्यक्रमों के माध्यम से, कंपनी उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कैसे कॉर्पोरेट पहल सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित कर सकती है।

## 2. एनएलसीआईएल

### 2.1 महिलाओं का सशक्तिकरण

एनएलसी इंडिया लिमिटेड में 30 नवंबर 2024 तक, 10,538 कर्मचारी के कुल कार्यबल में से 826 महिलाएं हैं, जो कुल कार्यबल का 7.84% प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें से 286 कार्यपालक हैं, जो महिला कर्मचारियों का 34.67% है।

एनएलसीआईएल ने खनन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। खनन क्षेत्र में, 190 महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 48 कार्यपालक पदों पर हैं। अपने इतिहास में पहली बार, एनएलसीआईएल ने महिलाओं को कोर खनन कार्यों में एकीकृत किया है, जो लिंग समावेशिता के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता में एक मील का पत्थर है। महिलाओं को नौ वैधानिक पदों पर सर्वेक्षक, खनन सिरदार और ओवरमैन जैसे प्रमुख वैधानिक पदों पर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, 14 महिलाएं पीएपी (परियोजना प्रभावित लोग) प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष खनन उपकरण (एसएमई) संचालन में प्रशिक्षण ले रही हैं।

उनकी क्षमता को विकसित करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों का आयोजन किया गया था।

- कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013) की धारा 4 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम 2013 के नियम 13 (ई) के प्रावधानों के अनुसरण में, एनएलसी इंडिया में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- कामकाजी महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए, प्रशिक्षित कर्मियों के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित क्रेच "अनबलाया" संचालन में है।
- डब्ल्यूआईपीएस के एनएलसी इंडिया लिमिटेड चैप्टर

ने भी महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए कई खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, समूह चर्चाओं का आयोजन और संचालन किया है।

- महिलाओं के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए कौशल भारत मिशन के अनुरूप, कौशल विकसित करने और व्यापक बैंडविड्थ पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनएलसीआईएल द्वारा कई पहलें की गई हैं।

एनएलसीआईएल ने निम्नलिखित भूमिकाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु नए कौशल और उद्यमी विकास प्रशिक्षण प्रदान किए हैं।

- स्वरोजगार वाली सिलाई।
- सहायक सौंदर्य चिकित्सक।
- घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर।
- फैशन के आभूषण।
- जनरल ड्यूटी सहायक।
- हस्तनिर्मित अगरबत्ती बनाना।
- सिलाई मशीन ऑपरेटर।

### 2.2 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

एनएलसीआईएल ने 08 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया। पद्मश्री डॉ. नलिनी पार्थसारथी और डॉ. नीरज उपेंद्र, सीईओ पीपल ट्री हॉस्पिटल, बैंगलोर ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगदान के लिए इसकी सराहना की है।

Women's Day Celebrations at NLCIL

### 2.3 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- उसके मार्ग को रोशन करें – महिलाओं के भविष्य को सशक्त बनाना
- चुप्पी तोड़ना – पॉश के माध्यम से महिला सशक्तिकरण
- वह नेतृत्व करती है – परिवर्तन के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना
- पॉश रक्षक – कार्यस्थल में महिलाओं को सशक्त बनाना
- उदय और पनपे – सफलता के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना
- महिला स्वास्थ्य भारत – थीम ब्रेकिंग बैरियर्स, कैटलाइजिंग चेन
- चलो कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाएं
- एकजुटता में ताकत–पॉश के माध्यम से महिला सशक्तिकरण
- महिलाओं का उत्थान हो रहा हैं – बाधाओं को तोड़ना और सपनों का निर्माण करना
- उनकी आवाज को सशक्त बनाना–महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए पॉश।

## 3) एससीसीएल:

### 3.1 महिला सशक्तिकरण

**महिला कर्मचारियों की संख्या:**

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल के कर्मचारियों की संख्या 40,893 है, जिनमें 1878 महिला कर्मचारी शामिल हैं।

### 3.2 महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं:

क) कंपनी की महिला कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

ख) सभी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के प्रभावी कामकाज और महिला कर्मचारियों की रोजगार से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए महिला प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित क्षेत्र की महिला प्रकोष्ठ की संयोजक समिति के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें करती हैं।

ग) एससीसीएल में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिलाओं के लिए 720 दिनों की अवधि के लिए अलग से शिशु देखभाल अवकाश लागू किया गया है, जिसके माध्यम से संगठन में महिला कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से लाभान्वित किया जाता है।

### 3.3 एसईडब्ल्यूए (सिंगरेनी इंप्लायीज वाइव्स एशोसिएसन)

कर्मचारियों की पत्नियों के सशक्तिकरण के लिए, एसईडब्ल्यूए की स्थापना की गई है। एसईडब्ल्यूए कर्मचारियों की पत्नियों और आस–पास के बेरोजगार युवाओं अर्थात् पीएपी और पीडीएफ को एससीसीएल प्रबंधन के सहयोग से उनके आत्म–निर्वहन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे कि सिलाई और कढ़ाई, ब्यूटीशियन, मोटर ड्राइविंग, मैगाम वर्क्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, पेपर कैरी बैग और लिफाफा बनाने आदि में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक रूप से संगठित करता है।